प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं 509/2004

• डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल पिता शंकर प्रसाद अग्रवाल, क्लिनिक, जूनी लाइन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- अपीलकर्ता

बनाम

1. मेसर्स नेशनल गैरेज थ्रू मैनेजर, राजेंद्र नगर, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. मेसर्स नेशनल गैराज, जी.इ.रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

3. मेसर्स पाल–प्यूज़ो लिमिटेड थ्रू कम्पीटेंट अथॉरिटी, कल्याणशील रोड, मनपाड़ा दांबीवाली, जिला–ठाणे, महाराष्ट्र।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-----उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :––श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी 1 तथा 2 हेतु : ––कोई नहीं

माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

13/02/2020

यह अपील सिविल अपील क्रमांक 1–बी/2004 में तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 02/07/2004 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दो उत्तरवादीयो की अपील को स्वीकार कर लिया था और उन्हें वादी/अपीलार्थी को धन वापसी के दायित्व से मुक्त कर दिया था।

2. अपीलार्थी, जो कार क्रय का इच्छुक था, ने पाल–प्यूजो लिमिटेड के पक्ष में उसके एजेंट – मेसर्स नेशनल गैरेज, लिंक रोड, बिलासपुर और उसके कार्यालय – मेसर्स नेशनल गैरेज, जी.ई. रोड, रायपुर के माध्यम से

25,000/– रुपये का चेक जारी करके वाहन क्रय करने हेतु बुक की।बाद में, जब निर्धारित समय पर वाहन की आपूर्ति नहीं हुई, तो वादी ने बुकिंग रद्द करने का निर्णय लिया और तदनुसार बुकिंग रद्द कर दी थी।इसके बाद वादी ने राशि वापसी का दावा किया, क्योंकि वादी द्वारा प्रतिवादी मेसर्स पाल–प्यूजो लिमिटेड और अभिकर्ता, अन्य प्रतिवादियों को बार–बार अनुस्मारक और पत्र भेजे जाने के बावजूद, वादी ने न केवल प्रधान के विरुद्ध बल्कि अभिकर्ता के विरुद्ध भी वाद दायर किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 31/10/2002 के तहत वादी के पक्ष में और सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद चलाने का निर्णय पारित किया गया , जिसमें प्रधान के साथ–साथ अभिकर्ता भी शामिल थे। उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर मेसर्स नेशनल गैराज, बिलासपुर और मेसर्स नेशनल गैराज, रायपुर ने विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।अपील का मुख्य आधार यह था कि संविदा अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'संविदा अधिनियम') की धारा 230 में निहित प्रावधानों के तहत, अभिकर्ता प्रधान के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और यदि कोई दायित्व है, तो वह प्रधान पर है न कि अभिकर्ता पर।इस तर्क को विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार किया और अभिकर्ता को दोषमुक्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली गई। इस निर्णय के विरुद्ध, वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे इस न्यायालय ने निम्नलिखित विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वीकार किया है–

"क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को वादी को राशि वापस करने के दायित्व से मुक्त करके विधि की त्रुटि की है, जबकि यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामला संविदा अधिनियम की धारा 233 के अंतर्गत आता है, न कि धारा 230 के अंतर्गत। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी ने न केवल स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है, , बल्कि विश्वसनीय तथा निर्णायक साक्ष्य भी पेश किए हैं कि वादी ने बिलासपुर और रायपुर में स्थानीय कार्यालय वाले प्रतिवादी/अभिकर्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण कार क्रय करने का निर्णय किया था।यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि बिलासपुर और रायपुर में कोई अभिकर्ता नहीं होता तो वादी वाहन क्रय करने का साहस नहीं करता, क्योंकि वादी द्वारा ठाणे, महाराष्ट्र जाकर वाहन बुक करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।बिलासपुर और रायपुर में अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सुविधा के कारण ही वादी ने बिलासपुर में विक्रय तथा वितरण के माध्यम से वाहन क्रय करने का निर्णय किया और वादी ने 25,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करके वाहन बुक करने की कार्यवाही की। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि भले ही मसौदा पाल–प्यूज़ो लिमिटेड के नाम से तैयार किया गया था, लेकिन इसे स्थानीय अभिकर्ता अर्थात उत्तरवादी/अभिकर्ता के माध्यम से ही उक्त निर्माता को प्रस्तुत किया गया था।जब वादी ने कई अनुस्मारक भेजे, तो यह अभिकर्ता ही था, जिसके माध्यम से अनुस्मारक भेजे गए और अभिकर्ता ने बार–बार धन वापसी के लिए भी लिखा था। अत:, यदि अंततः धन वापसी नहीं की जाती है, तो संविदा अधिनियम की धारा 233 के तहत दायित्व अभिकर्ता का होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी/अभिकर्ता विशेष रूप से तर्क देने और ठोस मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करके यह साबित करने में विफल रहे कि वाहन

की बुकिंग के समय अभिकर्ता ने प्रधान का नाम बताया था।ऐसे मामले में, जहां अभिकर्ता ने प्रधान का नाम नहीं बताया है, संविदा अधिनियम की धारा 230 के तहत इसके विपरीत वैधानिक अनुमान है और उस स्थिति में, अभिकर्ता भी वादी के दावे को संतुष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा और वह संविदा अधिनियम की धारा 230 की आड़ लेकर दायित्व से मुक्ति नहीं मांग सकता है।

4. दूसरे दौर में मामले को बुलाए जाने पर भी उत्तरवादी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

5. वर्तमान याचिका में उठाया गया विवाद्यक यह है कि क्या अभिकर्ता संविदा अधिनियम की धारा 233 की प्रयोज्यता के आधार पर उत्तरदायी हैं या संविदा अधिनियम की धारा 230 के तहत निहित प्रावधानों के तहत दोषमुक्त होने के हकदार हैं। इस अपील में शामिल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों की सराहना करने से पहले, संविदा अधिनियम की उपरोक्त दो धाराओं, अर्थात् 230 और 233 में निहित प्रावधानों की जांच करना सुसंगत है, जो नीचे उद्धृत हैं –

"**230. अभिकर्ता प्रधान की ओर से किए गए संविदा को व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं कर सकता है, न ही उनसे आबद्ध हो सकता है** – उस प्रभाव के किसी संविदा के अभाव में, अभिकर्ता अपने प्रधान की ओर से किए गए संविदा को व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं कर सकता है, न ही वह उनसे व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है।

संविदा के विपरीत होने की धारणा – ऐसा संविदा निम्नलिखित मामलों में मौजूद माना जाएगा:— ------

(1) जहां संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा विदेश में रहने वाले व्यापारी के लिए माल की विक्रय या क्रय के लिए किया जाता है;

(2) जहां अभिकर्ता अपने प्रधान का नाम प्रकट नहीं करता है;

(3) जहां प्रधान, हालांकि प्रकट किया गया है, पर वाद नहीं चलाया जा सकता है।"

233. अभिकर्ता के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होने का अधिकार – ऐसे मामलों में जहां अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, उसके साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उसे या उसके प्रधान को, या उन दोनों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।"

6. संविदा अधिनियम की धारा 230 के अनुसार, कोई अभिकर्ता अपने प्रधान की ओर से किए गए संविदा को व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं कर सकता है और न ही वह व्यक्तिगत रूप से उनसे बाध्य है।यह किसी भी विपरीत संविदा के अधीन है।इसका अर्थहै कि, ऐसे मामले में जहां संविदा के तहत अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से संविदा लागू करने का अधिकार मिलता है या वह संविदा से व्यक्तिगत रूप से बाध्य होने का वचन देता है, उस स्थिति में, वह उत्तरदायी होगा और संविदा अधिनियम की धारा 230 के तहत संरक्षित नहीं होगा। कम से कम तीन परिस्थितियों में, विपरीत संविदा की वैधानिक धारणा धारा 230 में ही प्रदान की गई है।सबसे पहले, जहां संविदा अभिकर्ता द्वारा विदेश में रहने वाले व्यापारी के लिए माल की विक्रय और क्रय के लिए किया जाता है, दूसरे, जहां अभिकर्ता अपने प्रधान का नाम प्रकट नहीं करता है और तीसरे, जहां प्रिंसिपल पर, हालांकि खुलासा किया जाता है, वाद नहीं चलाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, यह धारा 233 है जो लागू होती है और उस मामले में, अभिकर्ता के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति अभिकर्ता या उसके प्रधान या उन दोनों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, अभिकर्ता के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वह या तो अभिकर्ता पर वाद कर सकता है या प्रधान पर या दोनों पर। इसलिए, संविदा अधिनियम की धारा 230 या धारा 233 की प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है या नहीं।

8. वर्तमान मामले में, वादी का यह तर्क यह है कि वादी ने अभिकर्ता – नेशनल गैराज के माध्यम से एक कार बुक करने का निर्णय किया। तर्क यह है कि वादी ने स्थानीय अभिकर्ता से संपर्क किया और स्थानीय अभिकर्ता द्वारा दिए गए आश्वासन पर, वादी ने वाहन क्रय करने का निर्णय किया और उसके बाद, प्रधान अर्थात् पाल–प्यूज़ो लिमिटेड के पास डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 25,000/– रुपये की अग्रिम राशि जमा की गई। वादी का तर्क यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के आश्वासन पर काम किया कि वह वाहन प्यूज़ो 309 की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और उसने राशि जमा करने के लिए आगे बढ़ा। हालाँकि, पूरी तर्क में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि प्रतिवादी / अभिकर्ता ने अपने खाते में कोई राशि प्राप्त की या नकद प्राप्त की या अपने पास रखी। इसके अलावा, वादी के तर्क और साक्ष्यों से यह पता नहीं चलता कि राशि को पहले अभिकर्ता के खाते में जमा किया जाना था और अभिकर्ता पर यह दायित्व डाला गया था कि वह राशि को निर्माता कंपनी को हस्तांतरित करे।इसके अलावा, वादी कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जिसमें कोई स्पष्ट शर्त हो, जिसके तहत अभिकर्ता ने कोई व्यक्तिगत दायित्व, वाहन की आपूर्ति या वादी को क्षतिपूर्ति करने का कोई दायित्व लिया हो, यदि वाहन निर्माता कंपनी द्वारा वादी को आपूर्ति नहीं की जाती है। इसलिए, वादी की अपने तर्क और साक्ष्यों से, अभिकर्ता की व्यक्तिगत देयता का मामला बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण तर्क या साक्ष्य नहीं है। इसके अभाव में, संविदा अधिनियम की धारा 233 की प्रयोज्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब, यह देखा जाना बाकी है कि क्या संविदा अधिनियम की धारा 230 के तहत इसके विपरीत संविदा था या क्या संविदा के विपरीत वैधानिक अनुमान लगाया गया है ताकि अभिकर्ता को मूलधन के साथ–साथ धन वापसी के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके।

10. वादी के स्वयं के साक्ष्य के आधार पर, पाल–प्यूजो लिमिटेड के नाम से तैयार किया गया 25,000/– रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तथा रसीद (एक्स.पी/1) भी वादी के पक्ष में पाल–प्यूजो लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी। एक्स.पी/1 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रसीद पाल–प्यूजो लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से जारी की गई थी, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि नेशनल गैराज इसका विक्रेता है।स्वीकार किए गए तथ्य कि ड्राफ्ट वादी द्वारा पाल–प्यूजो लिमिटेड के नाम पर तैयार किया गया था और रसीद सीधे पाल–प्यूजो लिमिटेड द्वारा वादी के पक्ष में जारी की गई थी, स्पष्ट रूप से साबित करता है कि अभिकर्ता ने शुरू से ही प्रधान के नाम का खुलासा किया था। यह अभिवचनों में किए गए कथनों और न केवल साक्ष्य में, बल्कि वादी और पाल–प्यूजो लिमिटेड के बीच विभिन्न संचारों से भी स्पष्ट है, जिन्हें एक्स.पी/2, एक्स.पी/3 और एक्स.पी/5 के रूप में साक्ष्य में पेश किया गया है।ये वादी और पाल–प्यूजो लिमिटेड के बीच संचार हैं। जाहिर है,

इसलिए वर्तमान मामला यह है कि अभिकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रधान का नाम प्रकट किया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वाहन की बुकिंग के समय, वादी को प्रधान का नाम प्रकट नहीं किया गया था। वादी द्वारा अभिवचनों में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि यह ऐसा मामला है जहां संविदा किसी द्वारा अभिवचनों द्वारा विदेश में रहने वाले व्यापारी के लिए माल की विक्रय या क्रय के लिए किया जाता है या यह ऐसा मामला है जहां प्रधान पर, हालांकि खुलासा किया गया है, वाद नहीं चलाया जा सकता है।इसके अलावा, वादी द्वारा इसके विपरीत कोई संविदा साबित नहीं किया जा सकता है।इसलिए, ऐसी स्थिति में, एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि संविदा अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों के तहत, अभिकर्ता वाहन की विक्रय और क्रय के करार से व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं होगा और बुकिंग रद्द करने और धन वापसी के दायित्व की स्थिति में, केवल प्रधान ही उत्तरदायी होगा, अभिकर्ता नहीं।इस संबंध में, विवेक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम इंडियन इंक. (2009) 17 एससीसी 657 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा। यह एक ऐसा मामला था, जिसमें कारों की आपूर्ति के लिए अभिकर्ता के माध्यम से वाहन बुक किया गया था। चूंकि वाहन की आपूर्ति नहीं की जा सकी, इसलिए बुकिंग रद्द कर दी गई और धन वापसी की मांग की गई। प्रधान और अभिकर्ता, दोनों पर वाद चलाया गया। संविदा अधिनियम की धारा 230 के प्रावधानों को लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिकर्ता को संविदा के विपरीत प्रकट किए गए प्रधान के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत कोई संविदा नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब प्रधान का नाम प्रकट किया गया था, तो अभिकर्ता पर वाद नहीं चलाया जा सकता था।यह अभिनिर्धारित किया गया था–"8. सांविदाअधिनियम की धारा 230 स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि एक अभिकर्ता एक प्रकटित मूलधन के कार्यों हेतु उत्तरदायी नहीं है, जो इसके विपरीत संविदा के अधीन है।इसके विपरीत ऐसा कोई संविदा नहीं किया गया है।इसी प्रकार के विवाद्यक पर इस न्यायालय ने मरीन कंटेनर सर्विसेज साउथ (पी) लिमिटेड बनाम गो गो गारमेंट्स, (1998) 3 एससीसी 247 में विचार किया था, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पारित इसी प्रकार के आदेश को इस न्यायालय ने अपास्त कर दिया था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 230 के आधार पर अभिकर्ता पर वाद नहीं चलाया जा सकता है जब मूलधन प्रधान का खुलासा हो गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसलिए, तैयार किए गए विधि के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी 2 और 3 को वादी को राशि वापस करने के दायित्व से मुक्त करके कोई विधिक त्रुटि नहीं की, भले ही उसने यह भिनिर्धारित करने के पश्चात् भी कि प्रतिवादी सं.3 प्रतिवादी सं.1 के अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा था।

12. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जाए।पक्षकार अपनी–अपनी लागतें स्वयं वहन करेंगे।

सही/–

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur